समाचार–प्रकाशनार्थ :–

निगम आयुक्त श्री झारिया द्वारा व्यावसायिक क्षेत्रों का निरीक्षण सफाई का कार्य नियमित रूप से करवाने व भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के दिये निर्देश

सार्वनिक शौचालय व यूरिनल की दोनो समय सफाई करवाई जाये

गदंगी करने व अमानक पॉलीथीन उपयोग करने पर 6 व्यक्तियों पर जुर्माना

रतलाम 17 अप्रैल । शहर के व्यावसायिक व अन्य क्षेत्रों की सफाई व्यवस्था का निरीक्षण निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कर व्यावसायिक क्षेत्र व मुख्य मार्गो की सफाई के साथ ही नाले नालियों की सफाई के निर्देश संबंधितों को देन के साथ ही भुट्टा बाजार में लगी अवैध गुमटी को हटाने के निर्देश भी दिये।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने दो बत्ती, सैलाना बस स्टैण्ड, गीता मंदिर रोड, भुट्टा बाजार, डालू मोदी बाजार, नाहरपुरा, चांदनी चौक, नौलाईपुरा, धानमण्डी आदि क्षेत्रों का निरीक्षण कर नाले नालियों की सफाई के निर्देश संबंधित को देते हुए नौलाईपुरा क्षेत्र के नाले की सफाई का कार्य तत्काल प्रारंभ करवाने के निर्देश दिये।

निरीक्षण के दौरान उन्होने अधिकारी एवं कर्मचारियों को निर्देश दिये कि शहर के सभी सार्वजनिक शौचालय व यूरिनल की नियमित रूप से सफाई करवाई जाये सफाई कार्य में किसी भी प्रकार की लापरवाही अक्षम्य होगी इस हेतु सभी पुरी निष्ठा, लगन एवं ईमानदारी से कार्य करे।

गंदगी, भवन निर्माण सामग्री फैलाकर अतिक्रमण करने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार अरूण अग्रवाल पर 3000, धर्मेन्द्र सिसोदिया पर 2000, धर्मेन्द्र टांक पर 1000, मनोहर सिंह, सुजानमल, राम किशन पर 500–500, हरि सिंह व नूर पर 250–250, रमेश, निर्मल व अनिल पर 100–100 रूपये का स्पॉट फाईन कर भविष्य में गंदगी व अतिक्रमण ना करने की समझाईश दी।

निरीक्षण के दौरान सहायक स्वास्थ्य अधिकारी श्री ए.पी. सिंह, उपयंत्री श्री राजेन्द्र मिश्रा, श्री अनवर कुरेशी, राजस्व उप निरीक्षक श्री हरीश मिश्रा, झोन प्रभारी श्री विनय चौहान, श्री धर्मेन्द्र दोगाया के अलावा श्री कुलदीप भट्ट आदि उपस्थित थे।

मेले में आर्केस्ट्रा के कलाकारों ने नागरिकों का खुब मनोरंजन किया

रतलाम 17 अप्रैल । नगर निगम द्वारा आयोजित तीन दिवसीय बरबड़ हनुमान मेले में बीती रात्री में निगम रंगमंच पर आयोजित आर्केस्ट्रा में कलाकारों ने फिल्मी गीतों व गीतों पर नृत्यों की प्रस्तुति देकर बड़ी संख्या में उपस्थित नागरिकों का देर रात तक खुब मनोरंजन किया।

आर्केस्ट्रा की शुरूआत गायक प्रदीप पवांर ने गणेश वंदना व हनुमान जी के भजन के से की इसके पश्चात् कलाकारों ने अपने सुमधुर कंठ से बड़ी दूर से आये हैं प्या का तोहफा लाये है, सत्यम् शिवम् सुन्दरम्, याद आ रहा है तरा प्यार, छुप गये सारे नजारे ओय क्या बात हो गई, जो तुमको हो पसंद वही बात कहेंगे जैसे फिल्मी गीतो की प्रस्तुति दी वहीं

राजस्थानी, फिल्मी व भजनों पर मनीषा ने आर्कषक नृत्यों की प्रस्तुति देकर नागरिकों का देर रात तक भरपुर मनोरंजन किया।

प्रारंभ में पूर्व पार्षद श्री प्रहलाद पटेल ने आर्केस्ट्रा के कलाकार मोहम्मद अय्यूब, प्रदीप पवांर, माधुरी, मनीषा, जितेन्द्र चौहान, रमन हारोड़, मनोज सहगल, राजेश बैरागी, आनन्द नागरकर आदि का स्वागत पुष्प गुच्छ व पुष्पहारों से किया।

17 अप्रैल शनिवार को कचरा संग्रहण हेतु लगाई 255 ट्रीप

95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया पंहूचा

5 से अधिक ट्रीप लगाने वाले ड्रायवर व हैल्परों का होगा सम्मान

रतलाम 17 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार नगर निगम के कचरा संग्रहण वाहनों के माध्यम से घर–घर से पृथक–पृथक एकत्रित किया जा रहे गीले–सूखे कचरे व सड़को व नाले–नालियों को सफाई के दौरान निकलने वाले कचरे का प्रतिदिन वजन किया जाकर जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया जा रहा ह जिसके तहत 17 अप्रैल रविवार को 95 टन से अधिक कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पर पंहूचाया गया।

17 अप्रैल रविवार को डम्पर से 11200 किलो, ट्रेक्टर से 8845 किलो, मैजिक सूखा कचरा 52680 किलो, मैजिक गीला कचरा 22845 किलो इस तरह कुल 95570 किलो कचरा जुलवानिया ट्रेचिंग ग्राउण्ड पंहूचाया गया।

48 सफाई मित्रों का 1 दिवस एक दिवस का वेतन काटा

दोपहर में अनुपस्थित रहने वाले कर्मचारियों का कटेगा पुरे दिन का वेतन

बिना सूचना के 3 दिवस लगातार अनुपस्थित रहने कर्मचारी होगें सेवा से बर्खास्त

रतलाम 17 अप्रैल । कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम के निर्देशानुसार वार्डो में स्वच्छता पर्यवेक्षण हेतु नियुक्त पर्यवक्षकों द्वारा वार्डो में प्रातः 6 व दोपहर 2 बजे सफाई मित्रों की उपस्थिति को चेक किया गया जिसके तहत 17 अप्रैल को प्रातः 18 व दोपहर में 30 सफाई मित्र बिना सूचना के अनुपस्थित पाय जाने पर निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया के निर्देशानुसार एक व आधे दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया। ऐसे सफाई मित्र जो कि प्रातः की शिफ्ट में उपस्थित रहते हैं व दोपहर की शिफ्ट में बिना सूचना के अनुपस्थित रहने पर संबंधित का पुरे दिवस का वेतन काटा जायेगा।

16 अप्रैल गुरूवार को झोन क्रमांक 1 मं विमलाबाई पति रघुवीर, बादल–दिलीप, राकेश–रतनलाल, अजय–विनोद, अनिल–अर्जून, विजय–फुलचन्द, झोन क्रमांक 2 में सुनील–श्यामलाल, सोमदीप–सुदेश, श्यामाबाई–कन्हैया, मीनाबाई–किशोर, विमलाबाई–पंकज, महेन्द्र–नेहरू, शिवकन्या–रमेश, प्रदीप–रामप्रसाद, पूर्णिमाबाई–चरण, राकेश–रामप्रसाद, संजय–बच्चु, मंजुबाई पति राजू, दोपहर की शिफ्ट में झोन क्रमांक 1 मे विजय–शांतिलाल, सतीश–गोवर्धन, झोन क्रमांक 2 में नितिन–कमल, लताबाई पति संजय, विमलाबाई पति नारायण, बबीताबाई–श्यामलाल, सुगनाबाई पति शंकर, दयाराम–मुंशी, मनुबाई पति किशोर, मनोरमाबाई पति मदन, संगीताबाई पति रमेश, दीपक–अन्नी, रेखाबाई पति ओमप्रकाश,

श्यामाबाई पति रामलाल, संध्याबाई पति सुरेश, अनिताबाई पति दीपक, आशाबाई पति मुकेश, मुन्नीबाई–मूलचन्द, शीलाबाई पति राधेश्याम, झोन क्रमांक 3 में रोहित–पवन, मनीष–विजय, सुनील–मनोहर, नजीर–कचरू, सुरेश–फतेहराम, झान क्रमांक 4 में मुकेश–बाबुलाल, रामकन्या पति सोहन, मिनाक्षी–योगेश, सुनीताबाई पति शिवलाल इस तरह 48 कर्मचारी बिना सूचना के अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित पाये जाने पर एक दिवस का वेतन काटा जाकर सेवा से बर्खास्त/निलबंन का कारण बताओ सूचना पत्र जारी किया गया।

ऐस सफाई मित्र जो कि बिना सूचना के लगातार तीन दिवस तक अपने कर्तव्य स्थल से अनुपस्थित रहते है उन्हे सेवा से बर्खास्त/निलबंन की कार्यवाही की जायेगी।

बिना अनुमति व अनुमति के विपरित 10 के स्थान पर 30 प्रतिशत अवैध निर्माण का होगा प्रशमन (कम्पाउडिंग)

30 जून तक प्रशमन शुल्क में दी जा रही 20 प्रतिशत छूट

रतलाम 17 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) के तहत 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 प्रतिशत सीमा तक हुए अवैध निर्माण का प्रशमन (कम्पाउडिंग) किया जा सकेगा। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि मध्यप्रदेश शासन द्वारा नगरीय क्षेत्र में बिना अनुमति तथा अनुमति के विपरित भवनों के प्रशमन (कम्पाउडिंग) हेतु नियमों में संशोधन कर अब 10 प्रतिशत के स्थान पर 30 पतिशत की सीमा तक हुए अवैध निर्माण को नियमित करने का प्रावधान किया गया है। इस हेतु लगने वाले कम्पाउडिंग शुल्क में 30 जून तक 20 प्रतिशत की छूट प्रदान की जा रही है।

रतलाम नगरीय क्षेत्र में उपरोक्त प्रकार के सभी भवनों के लिये अपने अवैध निर्माण को वैध कराने का यह सुनहरा अवसर है। नगर निगम द्वारा इस हेतु प्रमुख व्यावसायिक भवनों को सूचना पत्र भी दिये गये है।

कलेक्टर एवं निगम प्रशासक श्री कुमार पुरूषोत्तम व निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया उपरोक्त प्रकार के सभी भवन स्वामियों से अपील की है कि बिना अनुमति या अनुमति के विपरित बने अपने भवनों का प्रशमन (कम्पाउडिंग) 30 जून के पूर्व करवाकर अवैध निर्माण के विरूद्ध होने वाली किसी भी संभावित कार्यवाही बचें।

नगर निगम उठायेगा निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री

सिविक सेंटर में बनाया निर्माण एवं विध्वंस सामग्री केन्द्र

नागरिक मो0नं0 7471144078 पर करें संपर्क

रतलाम 17 अप्रैल । निर्माण एवं विध्वंस अपशिष्ट सामग्री के नियमानुसार निष्पादन हेतु नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री

बनाया गया है। नागरिक मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि स्वच्छ भारत मिशन 2.0 के अन्तर्गत स्वच्छ सर्वेक्षण 2022 की तैयारियों के अन्तर्गत नगर निगम द्वारा योजना क्रमांक 71 राजीव गांधी सिविक सेंटर में निर्माण एवं विध्वंस सामग्री बनाया गया है। भवन निर्माण कर्ता भवन निर्माण अपशिष्ट सामग्री कांक्रीट, ईंट, मुरम, मलबा, स्टील, लकड़ी, प्लास्टिक, मोर्टर, साइल आदि को मोबाईल नम्बर 7471144078 पर कॉल करके सामग्री को उठवा सकते है।

श्वान पालकों को अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन अनिवार्य रूप से करायें रजिस्ट्रेशन नहीं कराने पर संबंधित के विरूद्ध होगी दण्डात्मक कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत नगरीय क्षेत्र रतलाम में निवासरत् ऐसे नागरिक जो कि अपने घरों में श्वान पालते हैं वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम स्वास्थ्य विभाग की लायसेंस शाख में अनिवार्य रूप से करायें अन्यथा संबंधित के विरूद्ध दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि नगरीय क्षेत्र अन्तर्गत श्वान पालकों द्वारा अपने श्वान को गले में बिना पट्‌टा डाले अथवा अन्य चिन्हों के बिना आवारा श्वान की भांति छोड़ दिया जाता है तथा आम नागरिकों में भय का वातावरण निर्मित होता है ऐसे श्वानों एवं श्वान मालिकों के लिये नगर पालिक निगम अधिनियम 1956 की धारा 355 व 356 के तहत अनिवार्य किया गया है। ऐसे श्वान पालक जिन्होने अपने श्वान का रजिस्टेशन नहीं कराया है उन्हे नगर निगम द्वारा सूचना–पत्र जारी किये जा रहे है रजिस्ट्रेशन नहीं कराने वाले श्वान पालकों के विरूद्ध कठोर दण्डात्मक कार्यवाही की जायेगी।

श्वान पालक को नगर पालिक निगम के स्वास्थ्य विभाग अन्तर्गत लायसेंस शाखा में प्रति श्वान पंजीयन शुल्क रूपये 1000/– एवं लायसेंस शुल्क रूपये 500/– प्रति श्वान तथा लायसेंस नवीनीकरण हेतु प्रतिवर्ष 100/– रूपये जमा कराना होगा। श्वान पालकों को अधिकतम् 2 श्वान पालने की अनुमति प्रदान की जावेगी।

नगर निगम द्वारा श्वान पालकों से अपील की जाती है कि वे अपने श्वान का रजिस्ट्रेशन नगर निगम के स्वास्थ्य विभाग अंतर्गत लायसेंस शाखा में अनिवार्य रूप से करावें तथा अपने श्वान के गले में पट्‌टा डालकर रखें व अन्य पहचान चिन्ह लगावें।

3369 हितग्राही पीएम स्वनिधी के ब्याज मुक्त ऋण से लाभान्वित हुए स्वरोजगार ऋण से 120 हितग्राही हुए लाभान्वित

पथ विक्रेता 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त करने हेतु आवेदन प्रस्तुत करें

रतलाम 17 अप्रैल । नगरीय क्षेत्र रतलाम के ऐसे पंजीकृत एवं पात्र पथ विक्रेता जिन्हे प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु ब्याज मुक्त ऋण प्राप्त नहीं हुआ है तथा जिन्होने प्रथम कार्यशील पूंजी का ऋण जमा करा दिया है उन्हे संकल्प से सिद्धी विशेष अभियान के तहत 10 व 20 हजार का ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराने हेतु नगर निगम द्वारा निगम के झोन कार्यालयों पर ऑन लाईन आवेदन भरे जा रहे हैं।

निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने बताया कि प्रथम कार्यशील पूंजी हेतु 3149 हितग्राहियों को राशि रूपये 10,000/– तथा द्वितीय कार्यशील पूंजी हेतु 220 हितग्राहियों को राशि रूपये 20,000/– ब्याज मुक्त ऋण उपलब्ध कराया गया है। एनयूएलएम स्वरोजगार ऋण योजना में 115 हितग्राहियों व एनयूएलएम स्वरोजगार समूह ऋण योजना में 5 समूह को ऋण उपलब्ध कराया गया है।

पथ विक्रेताओं को ब्याज मुक्त ऋण के लिये ऑन लाईन आवेदन प्रस्तुत करने हेतु आवश्यक दस्तावेज के रूप में बैंक पास बुक, आधार कार्ड, पथ विक्रेता पंजीयन कार्ड व आधार लिंक से मोबाईल नम्बर साथ लाना होगा।

गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक नहीं लेने पर कर्मचारियों के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । निगम आयुक्त श्री सोमनाथ झारिया ने कचरा संग्रहण वाहन के ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारो व झोन प्रभारियों को निर्देशित किया है कि वे नगर के प्रत्येक घर, दुकान आदि से प्रतिदिन गीला व सूखा कचरा पृथक–पृथक कचरा संग्रहण करना सुनिश्चित करें अन्यथा ड्रायवर, हैल्पर, वार्ड प्रभारी व संबंधित झोन प्रभारी पद से हटाने व बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी।

निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देषित किया यदि किसी भी वार्ड में मिक्स कचरा लेते हुए या कचरा संग्रहण वाहन में मिक्स कचरा डालते हुए पाये जाने पर संबंधित कर्मचारी को पद से हटाने व सेवा से बर्खास्त किये जाने की कार्यवाही की जायेगी। इसके अलावा उन्होने निर्देशित किया कि प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिया जाये।

प्रत्येक वार्ड के प्रत्येक घर, दुकान, गुमटी आदि से प्रतिदिन पृथक–पृथक कचरा लिये जाने हेतु निगम आयुक्त श्री झारिया ने निर्देशित किया कि दोनो पालियों में वार्ड में कचरा संग्रहण वाहन जायेंगे तथा जब तक पुरे वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा संग्रहित नहीं कर लिया जाता तब तक वाहन निगम के वर्कशॉप में जमा ना करायें। निगम आयुक्त श्री झारिया ने वाड प्रभारी व झोन प्रभारी को निर्देशित किया है कि वे प्रतिदिन प्रमाणित करेंगे कि उनके वार्ड से 100 प्रतिशत कचरा उठ चुका है।

वार्ड में गंदगी पाई गई तो झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षक के विरूद्ध होगी कार्यवाही

रतलाम 17 अप्रैल । स्वच्छ सर्वेक्षण–2021 मे रतलाम नगर को स्वच्छता के क्षेत्र में नम्बर–1 बनाने हेतु नगर निगम दृढ़ संकल्पित है, जिसके तहत वार्डो की सड़क, गली, सार्वजनिक स्थल, नाले–नालियों आदि समुचित सफाई हेतु झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व वार्ड के सफाई संरक्षक पाबंद है। वार्डो में गंदगी, कचरे के ढेर, नाले–नालियों में कचरा पाये जाने पर संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

वार्डो की समुचित साफ–सफाई का दायित्व झोन प्रभारी, वार्ड दरोगा व सफाई संरक्षकों का दायित्व है वे अपने कर्तव्य का निर्वहन पुरी निष्ठा एवं ईमानदारी करें यदि वार्डो में साफ–सफाई नहीं पाई जाती है तो संबंधितों को हटाने की कार्यवाही की जायेगी।

समाचार/ज.सं.वि./हेमन्त/17.04.2022/न.पा.निगम, रतलाम.